उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:78/2024/001-2943618(2)/12-2099/223/2023
लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2024

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदन संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-796-अनुसूचित जातियों के विशेष घट योजना-89-केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8919-नेशल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन आफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0 120.00 लाख के सापेक्ष मानक मद-27-सब्सिडी में शासनादेश संख्या:72/2024/001-2943618/12-2099/223/2023-768/2024, दिनांक 28 अगस्त, 2024 द्वारा रूपये 48.00 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति में टंकण त्रुटि के कारण प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के विषय में "अनुदान संख्या-81 की लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" अंकित हो गया है, जबकि प्रश्नगत योजना में "**वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदन संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना**" है।

2. तदनुसार कृपया शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 2024 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत रहेंगीं।

विनोद कुमार सिंह
उप सचिव1

सख्या:78/2024/001-2943618(3)/12-2099/223/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in